

आउटकम बजट 2018–19

विभाग का नाम :— महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास
विभाग, उत्तराखण्ड

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0— 2, 4 एवं 5

(रु0 लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले 2018-19		एस0डी0जी0 Goals/ Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2018-19	1-4-2017 की स्थिति (बेस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
	अनुदान संख्या: 15								
01	0101— आई0सी0डी0एस0 योजना में मेडिसिन किट की आपूर्ति आदि विभिन्न योजनाओं का संचालन (90 प्रतिशत के0सहा)	भारत सरकार के मानकानुसार प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रो पर एक प्री—स्कूल किट्स व एक मेडिसिन किट्स तथा दो साड़ी की आपूर्ति हेतु।	1546.07	0.00	SDG Goal 4 4.2a 4.2b 4.2c 4.2d	14947 आंगनबाड़ी तथा 5120 मिनी केन्द्रो पर 20067 मेडिसिन किट 20067 प्री—स्कूल किट तथा 20067 आंगनबाड़ी एवं मिनी कर्मियों हेतु पोशाक की व्यवस्था होगी।	ICDS/MWCD 98911 8 Average 100183 14 Average	• प्री—स्कूल किट के लाभार्थी— 1.71 लाख। • मेडिसिन किट के लाभार्थी— 7.33 लाख। • यूनिफार्म—35014	31 मार्च, 2019
02	0102— समन्वित बाल विकास योजना (90 प्रतिशत के0सहा)	103 बाल विकास परियोजनाओं का अधिष्ठान व्यय।	36137.13	0.00	SDG Goal 2 2.2a 2.2d	103 बाल विकास परियोजना कार्यालयों में 756 कार्मिकों हेतु प्रशासकीय अधिष्ठान व्यय एवं 30251 आंगनबाड़ी कार्मिकों के मानदेय अधिष्ठान एवं अनुपूरक पोषाहार पर व्यय।	SAM -1677 (less than 3 years) MAM-25281 (less than 3 years) 1677	• 103 बाल विकास परियोजनाओं का अधिष्ठान व्यय। • 30251 महिलाओं को रोजगार की प्राप्ति। • पोषाहार लाभार्थी— 5.43 लाख। • 0.19 लाख बच्चे कुपोषित। • 0.14 लाख बच्चे अतिकुपोषित।	31 मार्च, 2019

03	0104— समन्वित बाल विकास योजना के लिये जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था (90 प्रतिशत के0सहा)	13 जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालयों का अधिष्ठान।	398.96	0.00		13 जनपदों के 26 कार्मिकों हेतु प्रशासकीय अधिष्ठान व्यय एवं जनपद स्तर पर समर्त योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।		• जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालयों का अधिष्ठान से विभागीय योजनाओं का उचित संचालन एवं मूल्यांकन होगा।	31 मार्च, 2019
04	0107—किशोरी शक्ति योजना (90 प्रतिशत के0सहा)	11–18 वर्ष की स्कूल जाने वाली तथा न जाने वाली किशोरियों के जीवन में सुधार लाने तथा उन्हे औपचारिक शिक्षा प्रदान करना।	77.00	0.00		09 जनपदों की 70 बाल विकास परियोजनाओं में 1.32 लाख किशोरियों को एनिमियां से बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आई0एफ0ए0 की गोलियां उपलब्ध करवाना, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा देने के साथ ही आत्मनिर्भरता हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।		भारत सरकार से प्राप्त बजट आधारित लक्ष्य की सापेक्ष पूर्ति।	31 मार्च, 2019
05	0108— आंगनबाड़ी कार्यकर्ता /सहायिकाओं आदि को प्रशिक्षण के दौरान राशन आदि की व्यवस्था (90 प्रतिशत के0सहा)	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं तथा मिनी कार्यकर्त्रियों की क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण का आयोजन।	350.00	0.00		1085 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को कार्य प्रशिक्षण, 2240 कार्यकर्त्रियों को रिफेशर प्रशिक्षण, 650 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को ओरियेण्टेशन प्रशिक्षण, 1950 सहायिकाओं का रिफेशर प्रशिक्षण, 200 मुख्य सेविकाओं को रिफेशर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।		भारत सरकार से प्राप्त बजट आधारित लक्ष्य की सापेक्ष पूर्ति।	31 मार्च, 2019

06	0110—अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (90 प्रतिशत के0सहा)	भारत सरकार के निर्देशानुसार आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।	301.01	0.00		योजनान्तर्गत 20067 आंगनबाड़ी केन्द्रों, निदेशालय, जनपद एवं परियोजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।		20067 आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत लाभार्थियों के आंकड़ों का संकलन कर बच्चों एवं महिलाओं की पोषण स्थिति में सुधार आयेगा।	31 मार्च, 2019
07	0114—सूचना, शिक्षा तथा संचार (90 प्रतिशत के0सहा)	सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण की गतिविधियों द्वारा समुदाय में आई0सी0डी0एस0 की सेवाओं की मांग बढ़ाना।	200.67	0.00		20067 आंगनबाड़ी केन्द्रों के प्रचार—प्रसार हेतु लोक जागरूकता लाना।		योजनाओं का प्रचार—प्रसार होने के फलस्वरूप जनसमुदाय को योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा।	31 मार्च, 2019
08	0124—आई.सी.डी.एस. परियोजना / कार्यालय / आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अवसंरचना सुविधाएं (90 प्रतिशत के0सहा)	नई परियोजनाओं तथा नए आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अनावर्तक व्यय हेतु।	700.00	0.00		14947 आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं 5120 मिनी आ०बा० केन्द्रों में शुद्ध पेयजल, फर्नीचर, वजन मशीन आदि की व्यवस्था होने पर लाभार्थियों को शुद्ध पेयजल, पका हुआ भोजन एवं बच्चों की उचित वृद्धि निगरानी से कुपोषण में कमी आयेगी।		आ०बा० केन्द्रों में शुद्ध पेयजल, फर्नीचर एवं वजन मशीन आदि की व्यवस्था होने पर लाभार्थियों को शुद्ध पेयजल, पका हुआ भोजन एवं बच्चों की उचित वृद्धि निगरानी से कुपोषण में कमी आयेगी।	31 मार्च, 2019
09	0125— सबला—किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु योजना (90 प्रतिशत के0सहा)	जीवन शिक्षा, स्वास्थ्य पोषक जानकारी देने, जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से योजना संचालित।	1133.00	0.00		04 जनपदों के 0.64 लाख किशोरियों को आत्मनिर्भरता हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा तथा किशोरियों को अनुपूरक पोषाहार प्राप्त होगा।		भारत सरकार से प्राप्त बजट आधारित लक्ष्य की सापेक्ष पूर्ति।	31 मार्च, 2019

10	0126—प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (90 प्रतिशत के0स0)	गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को टीकाकरण, आईएफए टेबलेट सेवन, प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर जाँच, स्तनपान, बच्चों का टीकाकरण आदि मापदण्डों की पूर्ति कर समर्थ बनाने हेतु योजना संचालित है।	1224.70	0.00		50000 गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को मापदण्डों की पूर्ति हेतु प्रति महिला रु0 5000/- की राशि तीन किश्तों में प्रदान की जायेगी, साथ ही योजनान्तर्गत तैनात कार्मिकों के अधिष्ठान पर व्यय।		लगभग 50000 गर्भवती महिलाओं लाभान्वित होगी।	31 मार्च, 2019
11	0127— महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय मिशन (90 प्रतिशत के0सहा)	महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हुये उनका कौशल विकास, रोजगारोपार्जनोमुख, प्रशिक्षण इत्यादि के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन देना।	100.00	0.00		<ul style="list-style-type: none"> • महिलाओं के लिये जारूकता शिविर, नारी के चौपाल का आयोजन करना। • महिलाओं/किशोरियों को सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं/से वाओं एवं महिलाओं से सम्बन्धित कानूनी विषयों आदि पर जानकारी उपलब्ध कराना। • विभिन्न सरकारी/विभागीय योजनाओं के साथ समन्वयन स्थापित करना। • महिलाओं एवं किशोरियों को स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराना। 	<ul style="list-style-type: none"> • महिलाएं आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनेंगी। • महिलाओं में कानून एवं अधिकारों की जागरूकता आयेगी। • बालिकाओं के घटते लिंगानुपात में सुधार आयेगा। • विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ समन्वयन स्थापित होगा। • HBD जनपदों में महिलाएं/किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार। 	31 मार्च, 2019	

12	0130—उज्ज्वला योजना (80 प्रतिशत के0स0)	व्यापारिक यौन शौषण के लिए तरकरी से पीड़ित महिलाओं का बचाव, एवं अनैतिक व्यापार से जुड़ी महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनको आश्रय प्रदान किया जाना एवं उनको समाज में सम्मान दिलवाना।	131.98	0.00		अनैतिक व्यापार से जुड़ी महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनको आश्रय प्रदान किया जाना एवं उनको समाज में सम्मान दिलवाना।		• उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत सुधार— गृह—05 • भारत सरकार से प्राप्त बजट आधारित लक्ष्य की सापेक्ष पूर्ति।	31 मार्च, 2019
13	031—आई0सी0डी0एस0 प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और पोषण सुधार परियोजना (ISSNIP) (90 प्रतिशत के0स0)	आई0सी0डी0एस0 द्वारा स्तनपान कराने वाली माताओं/ महिलाओं को स्तनपान के लाभ की जानकारी देने एवं स्तनपान के सम्बन्ध में क्षमता निर्माण प्रशिक्षण तथा स्तनपान के सम्बन्ध में उत्पन्न समस्याओं को हल करने के लिए सामुदायिक स्तर पर एक स्टॉप रिसोर्स सेन्टर की स्थापना करना है।	74.34	0.00		प्रारम्भ में यह योजना जनपद हरिद्वार एवं नैनीताल की 2-2 परियोजनाओं में प्रारम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत स्तनपान कराने वाली माताओं/ महिलाओं को स्तनपान के लाभ की जानकारी देकर स्तनपान के सम्बन्ध में उत्पन्न समस्याओं को हल करने के लिए स्टॉप रिसार्स सेन्टर की स्थापना की जायेगी।		भारत सरकार से प्राप्त बजट आधारित लक्ष्य की सापेक्ष पूर्ति।	31 मार्च, 2019

14	0132—स्वधार गृह योजना (90 % के0स0)	बिना किसी सामाजिक व आर्थिक समर्थन के कठिन परिस्थितियों में जीवन—यापन कर रही उपेक्षित महिलाओं/लड़कियों के लिए आश्रय, खाद्य, कपड़ा व देखभाल जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है।	117.20	0.00		कठिन परिस्थितियों में जीवन—यापन कर रही उपेक्षित महिलाओं/लड़कियों के लिए आश्रय, खाद्य, कपड़ा व देखभाल जैसी बुनियादी जरूरतों को प्राप्त करवाना।	<ul style="list-style-type: none"> • स्वधार गृहों की संख्या—05 • भारत सरकार से प्राप्त बजट आधारित लक्ष्य की सापेक्ष पूर्ति। 	31 मार्च, 2019
15	0133—निर्भया फण्ड (90 % के0स0)	महिलाओं एवं किशोरियों के बचाव एवं सुरक्षा हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण करना।	72.00	0.00		योजना के तहत 05 जनपदों हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा एवं पौड़ी गढ़वाल की हिंसा से पीड़ित महिलाओं/किशोरियों को Self Defense हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं सुरक्षा किट का वितरण किया जायेगा।	भारत सरकार से प्राप्त बजट आधारित लक्ष्य की सापेक्ष पूर्ति।	31 मार्च, 2019
16	0134—राष्ट्रीय क्रेच योजना (80 % के0स0)	क्रेच केन्द्रों के माध्यम से कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल एवं स्कूल पूर्व शिक्षा आदि की व्यवस्था कर कामकाजी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना।	370.00	0.00		कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल कर एवं स्कूल पूर्व शिक्षा आदि की व्यवस्था कर कामकाजी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।	<ul style="list-style-type: none"> • संचालित क्रेच केन्द्रों की संख्या—56 • भारत सरकार से प्राप्त बजट आधारित लक्ष्य की सापेक्ष पूर्ति। 	31 मार्च, 2019

17	0135—राष्ट्रीय पोषण मिशन (90 % के0स0)	प्रथम चरण में यह योजना राज्य के 04 जनपदों (हरिद्वार, उधमसिंह नगर, चमोली एवं उत्तरकाशी) में मातृ एवं शिशु कुपोषण रोकन हेतु क्रियान्वयन किया जायेगा।	1025.42	0.00		मातृ एवं शिशु कुपोषण रोकन हेतु अन्तर्रिंभागीय समन्वय स्थापित करते हुए राज्य योजना का निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।		भारत सरकार से प्राप्त बजट आधारित लक्ष्य की सापेक्ष पूर्ति।	31 मार्च, 2019
18	0101—बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं आदि विभिन्न योजनाओं का संचालन (100 प्रतिशत के0सहा)	• लैंगिंग भेद—भाव के आधार पर शिशु जन्म को चयनित करने का समापन। • अपराध से पीड़ित महिलाओं को सहयोग हेतु 24X7 राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन न0 181 (टोल फ्री) Telecom Service प्रदान करना।• वन स्टॉप सेंटर (OSC) एकल खिडकी प्रणाली (Single window system) के समान कार्य करेगा, जहाँ दुर्व्यवहार / अपराध से पीड़ित महिलाओं को सहायता प्रदान की जायेगी।	50.00	0.00	SDG Goal 5.5.2a1 5.2a2 5.2a3	• जागरूकता शिविर / Advocacy द्वारा बाल लिंगानुपात को रोकना।• 583 गुडडी—गुडडा बोर्ड का प्रदर्शन।• क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।• विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में IEC materials द्वारा लोगों को जागरूक करना।• WHL-181 एवं OSC योजनान्तर्गत वर्तमान तक 528 केस पंजीकृत हैं।	888924817	• लिंगानुपात में सुधार।• बालिकाओं की शिक्षा एवं पोषण स्तर में सुधार।• महिलाओं को आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन स्थिति में कानूनी, चिकित्सीय, मनौवैज्ञानिक परामर्श आदि सेवायें प्राप्त होंगी।	31 मार्च, 2019

19	4235-01-08 आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण / उच्चीकरण / अनुरक्षण (90 प्रतिशत के0सहा0)	आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेवायें बेहतर ढंग से लाभार्थियों को प्रदान करने में सुविधा होगी, केन्द्र बच्चों के लिए आकर्षक बनेगे एवं भवन किराये की बचत होगी।	0.00	2015.00		1608 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जायेगा एवं विभागीय 500 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का अनुरक्षण कराया जायेगा।		भारत सरकार से प्राप्त बजट आधारित लक्ष्य की सापेक्ष पूर्ति।	31 मार्च, 2019
20	09-00— तीलू रौतेली पुरस्कार (रा0यो0)	निर्विघ्ट क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मान स्वरूप पुरस्कार दिया जाता है	3.78	0.00		उत्कृष्ट 13 महिलाओं/किशोरियों को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।		लगभग 13 पुरस्कृत महिलाओं के उदाहरण से राज्य की अन्य महिलाओं में भी उत्कृष्ट कार्यों के प्रति जागरूकता आयेगी एवं महिलाओं के सम्मान में वृद्धि होगी।	31 मार्च, 2019
21	11-00— अनुपूरक पोषाहार का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (रा0यो0)	अनुपूरक पोषाहार के नियमित अनुश्रवण हेतु सविदा पर कार्मिक की व्यवस्था की जानी है।	10.00	0.00		पोषाहार कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु अधिष्ठान पर व्यय।		लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार दिये जाने के अनुश्रवण से पात्र लाभार्थियों के स्वास्थ्य में सुधार आयेगा एवं कुपोषण से मुक्ति मिलेगी।	31 मार्च, 2019
22	12-00— इन्दिरा महिला समेकित विकास योजना (रा0यो0)	महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन तथा उनका कार्यबोझ कम करने हेतु योजना संचालित है।	130.00	0.00		<ul style="list-style-type: none"> • 64 विकासखण्डों के 64 परियोजनाओं में, महिलाओं का कार्यबोझ कम करने हेतु विभिन्न अभिनव स्वीकृत। • 1624 रव्यं सहायता समूह एवं 6000 महिला लाभार्थियों का लाभप्रद स्वरोजगार से जुड़ाव। 		<ul style="list-style-type: none"> • महिलाओं का कार्यबोझ कम होगा। साथ ही उनका सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण होगा। • रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। 	31 मार्च, 2019

23	14–00— पोषण मापक स्तनपान योजना (राज्यों)	राज्य में कुपोषण स्तर पर निगरानी रखने तथा स्तनपान को प्रोत्साहित करने हेतु शोध एवं प्रशिक्षण हेतु कार्य किया जाता है।	12.00	0.00		सम्पूर्ण स्तनपान के लिए माताओं को प्रोत्साहित करना, जनसमुदाय की सहभागिता निर्धारित करना। स्पन्दन केन्द्रों का चयन करना।		कुपोषण दर में कमी आयेगी तथा जन्म के समय से 6 माह तक के बच्चों को पूर्ण स्तनपान होने से बच्चों का सर्वांगिन बौधिक विकास होगा। स्पन्दन केन्द्रों के माध्यम से विभागीय योजनाओं की जानकारी जनसमुदाय तक पहुंचाना।	31 मार्च, 2019
24	15–00—निदेशालय/जन पद/परियोजना हेतु स्टॉफ व्यवस्था (राज्यों)	राज्य सरकार के द्वारा निदेशालय/जनपद/परियोजना हेतु स्टॉफ व्यवस्था।	2558.62	0.00		निदेशालय/जनपद/परियोजना हेतु स्टॉफ व्यवस्था के अधिष्ठान पर व्यय।		निदेशालय/जनपद/परियोजना अधिष्ठान। साथ ही विभागीय योजनाओं का उचित संचालन एवं अनुश्रवण होगा।	31 मार्च, 2019
25	0303— पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत दिया जाने वाला पोषाहार, पोषाहार हेतु ईंधन, कच्चा माल आदि की व्यवस्था (राज्यों)	आं०बा० कार्यकर्तीयों/सहायिकाओं को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त मानदेय प्रदान करने उद्देश्य से योजना संचालित है।	8000.00	0.00		आंगनबाड़ी कार्मिकों के अधिष्ठान पर राज्य द्वारा बढ़ाये गये मानदेय दिया जायेगा।		राज्य द्वारा देय अतिरिक्त मानदेय से 30251 आंगनबाड़ी कार्मिक प्रोत्साहित होकर सर्वोच्च गुणवत्ता पूर्ण सेवाएं प्राप्त होगी।	31 मार्च, 2019
26	103.10.00— राज्य महिला आयोग की स्थापना (राज्यों)	महिला अधिकारों के संरक्षण हेतु वैधानिक संस्था गठित है जिसका व्यय आयोजनात्तर मद से किया जा रहा है।	128.16	0.00		महिला आयोग द्वारा दर्ज प्रकरणों का निरस्तारण किया जायेगा एवं जनपदों में महिला अधिकार कैम्प आयोजित किये जायेंगे।		महिला अधिकारों के प्रति राज्य में सकारात्मक वातावरण में बृद्धि होगी तथा महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों की प्राप्ति होगी।	31 मार्च, 2019

27	103–13–00 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न तथा बाल विवाह एवं धरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण (रा०यो०)	सरकारी / गैर सरकारी कार्यालयों में महिला कार्मिकों के साथ अप्रदत्ता, आपत्तिजनक व्यवहार को रोकना।	50.00	0.00	SDG Goal 5 5.2c 5.2d 5.2e 5.4b 5.4c	जनपद/राज्य स्तरीय समिति, संरक्षण अधिकारी, सेवाप्रदाता, आश्रय गृह, चिकित्सा सुविधा केन्द्र आदि के माध्यम से अधिनियम का सफल क्रियान्वयन होगा।	12.7 52.7	राज्य में धरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण हेतु सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा तथा बाल विवाह रोकने हेतु जागरूकता प्राप्त होगी।	31 मार्च, 2019
28	103–18–00 कामकाजी महिला छात्रावासों पर स्टॉफ की व्यवस्था (रा०यो०)	कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास संचालन हेतु स्टॉफ की व्यवस्था आदि हेतु योजना का संचालन।	25.00	0.00		13 जनपदों में महिला छात्रावास का संचालन होगा।		छात्रावासों के माध्यम से कार्यशील महिलाओं के लिए सुरक्षित आवासीय सुविधा उपलब्ध होने पर कार्यक्षमता / कार्यकृशलता में वृद्धि एवं सुरक्षात्मक समाज का सुजन होगा।	31 मार्च, 2019
29	103–26 राज्य महिला कल्याण सशक्तिकरण परिषद की स्थापना (रा०यो०)	महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने हेतु।	0.01	0.00		13 जनपदों एवं 105 बाल विकास परियोजनाओं में महिला सशक्तिकरण की योजनाओं का अनुश्रवण होगा।		जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से 13 जनपदों, 105 बाल विकास परियोजनाओं एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों का औचक मूल्यांकन होने पर योजनाओं का लाभ आम जनता की पहुँच में होगा।	31 मार्च, 2019
30	103–27 किशोरी बालिकाओं हेतु सैनेटरी नैपकीन की व्यवस्था (रा०यो०)	किशोरी बालिकाओं को स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु योजना प्रारम्भ की गयी है।	100.00	0.00		राज्य की किशोरी बालिकाओं में स्वच्छता एवं रोगमुक्त रखने हेतु उन्हे सैनेटरी नैपकीन उपलब्ध कराया जायेगा।		किशोरियां रोगमुक्त होकर स्वस्थ जीवन व्यतीत करेगी।	31 मार्च, 2019

31	103-29 नन्दा गौरा योजना (रा०यो०)	राज्य की गरीब परिवारों की बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य हेतु।	9000.00	0.00	SDG Goal 5 5.2a1 5.2a2 5.2a3	बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग में कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर “नन्दा गौरा योजना” संचालित की गयी है। जिसके अन्तर्गत पात्र परिवार की 02 बालिकाओं को सात चरणों में ₹० 51000/- की धनराशि प्राप्त करायी जायेगी।	888 924 817	<ul style="list-style-type: none"> • लगभग 1.80 लाख पात्र परिवारों की बालिकाएं लाभान्वित होंगी। • लिंगानुपात में कमी। • शिक्षा प्राप्त करने के प्रति जागरूकता एवं बालिका के जन्म को बढ़ावा मिलेगा। • बाल विवाह पर रोकथाम। 	31 मार्च, 2019
32	103-30 पं० दीनदयाल सामाजिक सुरक्षा कोष (रा०यो०)	गरीब परिवारों की महिलाओं को आत्मनिर्भरता हेतु स्वरोजगार सृजन एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना।	50.00	0.00		गरीब परिवारों की महिलाओं को आत्मनिर्भरता हेतु स्वरोजगार सृजन जैसे भेड़, बकरी पालन, कुकट पालन हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।		गरीब परिवारों की महिलाओं को आत्मनिर्भरता हेतु स्वरोजगार सृजन जैसे भेड़, बकरी पालन, कुकट पालन हेतु अनुदान उपलब्ध करवाकर आर्थिक स्थिति में सुधार आयेगा।	31 मार्च, 2019
33	4235-10-00-कार्यशील महिला छात्रावासों का निर्माण (एस०पी०ए०)	कार्यशील महिला छात्रावासों का निर्माण।	0.00	300.00		रुद्रपुर, उधमसिंह नगर में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण।		कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सस्ती आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी।	31 मार्च, 2019
34	06— महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास भवनों का निर्माण (रा०यो०)	निदेशालय भवन के परिवर्धन हेतु।	0.00	13.00		निदेशालय भवन में आवश्यकतानुसार परिवर्धन / रखरखाव किया जायेगा।		निदेशालय के भवन का समुचित रखरखाव होने पर विभागीय कार्मिकों में स्वच्छ वातावरण की प्राप्ति होगी, जिससे कार्मिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी तथा किराये की धनराशि की बचत होगी।	31 मार्च, 2019

35	0602—बाल दिवस समारोह (रा०यो०)	अन्तर्राष्ट्रीय बाल दिवस समारोह का आयोजन एवं बाल अधिकारों की जागरूकता का प्रसार करना।	5.00	0.00		समस्त जनपदों एवं मुख्यालय स्तर पर 14 नवम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय बाल दिवस हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होगे।		बाल दिवस के आयोजन से बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करना।	31 मार्च, 2019
36	0605— उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना (रा०यो०)	बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग स्थापित है।	55.01	0.00		उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का संचालन।		बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य में सकारात्मक वातावरण तैयार होगा एवं गरीब समुदाय के बालक / बालिकाओं में पढ़ाई के प्रति जागरूकता आयेगी साथ ही पीड़ित बच्चों को उचित सुरक्षा की प्राप्ति होगी।	31 मार्च, 2019
37	21-00- आंगनबाड़ी कर्मियों हेतु कल्याण कोष की स्थापना (रा०यो०)	आंगनबाड़ी कर्मियों की मानदेय सेवा से मुक्त होने के समय उन्हे एकमुश्त आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाना।	300.00	0.00		आंगनबाड़ी कर्मियों की मानदेय सेवा से मुक्त होने के समय उन्हे एकमुश्त आर्थिक अनुदान की प्राप्ति।		प्रत्येक वर्ष लगभग 75–100 सेवानिवृत्त होने वाली आंगनबाड़ी कर्मियों को प्रोत्साहन राशि देकर आंगनबाड़ी कार्मिकों का सुरक्षित भविष्य सरक्षित होगा।	31 मार्च, 2019
38	2300—निर्भया योजना (रा०यो०)	राज्य में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों एवं किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपराध से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने हेतु योजना का संचालन।	50.00	0.00		महिलाओं के प्रति किसी प्रकार भी प्रकार के दुर्व्यवहार / अपराध जैसे कि महिलाओं के प्रति बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा का प्रकरण सामने आने पर उस पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित		महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार / अपराध जैसे मामले सामने आने पर उस पर त्वरित कार्यवाही से पीड़िता को लाभ मिलेगा।	31 मार्च, 2019

					होगी।			
39	1600—मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना (रा०यो०)	राज्य के कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्ति हेतु संचालन।	200.00	0.00	बच्चों में कुपोषण की रोकथाम हेतु खिलती कलियां कार्यक्रम एवं राज्य में कुपोषण से मुक्ति हेतु अभियान के तहत अभिनव प्रयोग के तौर पर अतिकुपोषित बच्चों के लिए स्थानीय खाद्य पदार्थों पर आधारित सामग्री “ऊर्जा” (URJA) के रूप में प्राप्त होगी।	राज्य के लगभग 20348 कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों को ऊर्जा युक्त भोजन मिलने से कुपोषण की दर में कमी आयेगी।	31 मार्च, 2019	
40	0600—मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण अभियान योजना (रा०यो०)	राज्य की वृद्ध महिलाओं के संबंध में सकारात्मक पारम्परिक पद्धतियों के द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को बढ़ावा देना।	100.00	0.00	राज्य की वृद्ध महिलाओं के संबंध में सकारात्मक पारम्परिक पद्धतियों के द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को बढ़ावा देना।	राज्य की 60 वर्ष से अधिक वृद्ध महिलाओं के पोषण स्तर में वृद्धि होंगी एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा।	31 मार्च, 2019	
41	2400—मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना (रा०यो०)	राज्य की विधवा, निराश्रित, निर्बल वर्ग की महिलाओं/किशोरियों के आजीविका एवं आर्थिक विकास होगा।	100.00	0.00	राज्य की विधवा, निराश्रित, निर्बल वर्ग की महिलाओं/किशोरियों के आर्थिक एवं व्यवसायिक कौशल में वृद्धि।	राज्य की लगभग 3500 विधवा, निराश्रित, निर्बल वर्ग की महिलाओं/किशोरियों के आर्थिक एवं रवरोजगार की प्राप्ति।	31 मार्च, 2019	
	अनुदान संख्या 15 का योग		64887.05	2328.00				
	अनुदान संख्या: 30							
	अनुसूचित जाति उपयोजना							

42	0202—समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर दिये जाने वाला पुष्टाहार (रायों ०)	अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/वार्डों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त मानदेय की योजना संचालित है।	930.24	0.00		आंगनबाड़ी कार्मिकों के अधिष्ठान पर राज्य द्वारा बढ़ाये गये मानदेय दिया जायेगा।		राज्य द्वारा देय अतिरिक्त मानदेय से 3525 आंगनबाड़ी कार्मिक प्रोत्साहित होकर सर्वोच्च गुणवत्ता पूर्ण सेवाएं प्राप्त होगी।	31 मार्च, 2019
43	0101— समन्वित बाल विकास योजना (९० प्रतिशत के०सहा०)	अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/वार्डों में आंगनबाड़ी कर्मियों को केन्द्र सहायिता मानदेय, पुष्टाहार की व्यवस्था की जाती है।	4861.99	0.00	SDG Goal 2 2.2a 2.2d	कार्मिकों हेतु प्रशासकीय अधिष्ठान व्यय एवं ३५२५ आंगनबाड़ी कार्मिकों के मानदेय अधिष्ठान तथा अनुपूरक पोषाहार पर व्यय।		• अनुसूचित जाति परियोजनाओं का अधिष्ठान व्यय। • ३५२५ महिलाओं को रोजगार की प्राप्ति। • पोषाहार लाभार्थी— १.७२ लाख	31 मार्च, 2019
44	4235-0101- आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण / अनुरक्षण (९० प्रतिशत के०सहा०)	आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन में सुविधा होगी एवं भवन किराये की बचत होगी।	0.00	0.02		टोकन मनी के रूप में धनराशि प्रस्तावित।		टोकन मनी के रूप में धनराशि प्रस्तावित।	31 मार्च, 2019
	अनुदान संख्या 30 का योग		5792.23	0.02					
	अनुदान संख्या: 31								
	जनजातिय क्षेत्र उपयोजना								
4 5	796-04-00— समन्वित बाल विकास योजनाएं जनजातिय क्षेत्र (रायों ०)	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों/वार्डों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त मानदेय की योजना संचालित है।	331.28	0.00		आंगनबाड़ी कार्मिकों के अधिष्ठान पर राज्य द्वारा बढ़ाये गये मानदेय दिया जायेगा।		राज्य द्वारा देय अतिरिक्त मानदेय से १२३८ आंगनबाड़ी कार्मिक प्रोत्साहित होकर सर्वोच्च गुणवत्ता पूर्ण सेवाएं प्राप्त होगी।	31 मार्च, 2019

46	796-01-02 समन्वित बाल विकास योजनाये—जनजातीय क्षेत्र (90 प्रतिशत के०सहा०)	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों/वार्डों में आंगनबाड़ी कार्यकात्रियों एवं सहायिकाओं को केन्द्र सरकार की ओर से अतिरिक्त मानदेय एवं पुष्टाहार की व्यवस्था की जाती है।	1808.53	0.00	SDG Goal 2 2.2a 2.2d	कार्मिकों हेतु प्रशासकीय अधिष्ठान व्यय एवं 1238 आंगनबाड़ी कार्मिकों के मानदेय अधिष्ठान तथा अनुपूरक पोषाहार पर व्यय।		• अनुसूचित जनजाति परियोजनाओं का अधिष्ठान व्यय। • 1238 महिलाओं को रोजगार की प्राप्ति। • पोषाहार लाभार्थी— 0.18 लाख	31 मार्च, 2019
47	4235-796-01 आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण (90 प्रतिशत के०सहा०)	आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन में सुविधा होगी एवं भवन किराये की बचत होगी।	0.00	0.02		टोकन मनी के रूप में धनराशि प्रस्तावित।		टोकन मनी के रूप में धनराशि प्रस्तावित।	31 मार्च, 2019
	अनुदान संख्या 31 का योग		2139.81	0.02					
	महायोग अनुदान संख्या 15, 30 एवं 31		72819.09	2328.04					